निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1945 (श0)

(सं0 पटना 445) पटना, बुधवार, 31 मई 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

26 मई 2023

सं० 3/सी0–07/2020–9936/सा0प्र0—सी0डब्लू0जे0सी0संख्या–20227/2019 नीलिमा कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.01.2020 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 मामलों के अनुश्रवण हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–902 दिनांक–17.01.2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया था। उक्त राज्य स्तरीय समिति को निम्नरूप में पुनर्गठित किया जाता है–

(i)	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित प्रशासी विभाग (विचाराधीन अभ्यावेदन में निहित अनुरोध जिस विभाग से संबंधित हो) के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव	सदस्य
(iii)	सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
(iv)	सचिव (व्यय)/सचिव (संसाधन), वित्त विभाग	सदस्य
(v)	उप सचिव, (प्रभारी प्रशाखा–15), सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य सचिव

2. उपरोक्त समिति समय–समय पर राज्यकर्मियों को एम0ए0सी0पी0/ए0सी0पी0 का लाभ दिए जाने की स्थिति की समीक्षा विभागों के साथ करेगी और आवश्यक निर्देश देगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक–902 दिनांक–17.01.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 445-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in